न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एंव अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 33/2015

प्रार्थी		अप्रार्थी
भूराराम गोदारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर	बनाम	1. खेराजमल पुत्र राधोमल जाति सिंधी निवासी कल्याणपुरा महावीर चौक वार्ड नं0 18, बाड़मेर (फर्म मुनिम) 2. गंगाराम पुत्र राधोमल जाति सिंधी निवासी कल्याणपुरा महावीर चौक वार्ड नं0 18 बाड़मेर (फर्म मालिक) 3. नरेश कुमार पुत्र शंकरलाल जाति जैन निवासी आर्युवैदिक अस्पताल के पास, चौहटन जिला बाड़मेर (फर्म धड़कन सेल्स का मालिक) 4. पटेल भरत कुमार पुत्र पटेल चतुर भाई निवासी रामपुरा पोस्ट कन्सा त0 विसनगर जिला मेहसाणा (गुजरात) (फर्म वि केयर प्रा.लि. बिजनेसमैन) 5. पटेल मंगल भाई पुत्र पटेल ईश्वर भाई निवासी मोघेरा रोड जिला मेहसाणा (गुजरात) (फार्मर)

अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011

उपस्थितः—1. प्रार्थी की ओर से सहायक लोक अभियोजक प्रथम उप0
2. अप्रार्थीगण की ओर से श्री सम्पतराज बोथरा एडवोकेट उप0

निर्णय दिनांक 31.5.2017

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 20.2.2015 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर के दौराने गश्त दोपहर 02.00 बजे मैंसर्स मेरे बन्धु किराणा स्टोर, स्टेशन रोड़ बाड़मेर पहुचंने पर दुकान में एक व्यक्ति बैठा हुआ मिला, नाम व पता पूछने पर अपना

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

नाम खेराजमल पुत्र राधोमल जाति सिन्धी निवासी कल्याणपुरा, महावीर चौक वार्ड नं0 18 बाड़मेर जिला बाड़मेर (फर्म मुनिम) होना बताया। दुकान का निरीक्षण करने पर दुकान मे अन्य खाद्य सामग्री के साथ–साथ आयोडीन नमक ब्राण्ड वि केयर एक–एक किलो के 20 पैकेटो में भरा हुआ पाया गया। उक्त आयोडीन नमक ब्राण्ड वि केयर में मिलावट का संदेह होने पर रूबरू गवाह के मालिक विक्रेता को जरिये रसीद संख्या 651 के द्वारा रूपये 60/– नगद अदा कर आयोडीन नमक ब्राण्ड वि केयर जो कि 20 पैकेटो में भरा हुआ था, में से एक–एक किलो कुल 04 किलो क्रय किया एवं रसीद/केश मीमो प्राप्त की। विक्रेता व गवाह के सामने 4 लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर पी.449 खाद्य पदार्थ का विवरण एंव नमूना लेने का स्थान एंव दिनांक अंकित की गई। उक्त आयोडीन नमक ब्राण्ड वि केयर को चार कागज के पैकैट में बराबर–बराकर मात्रा में भरकर उन पर लेबल चिपकाया जाकर प्रार्थी व गवाहो व मालिक विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। प्रत्येक नमूने को मोटे व खाखी कागज में लपेट कर इस पर पेपर स्लीप कोड एंव सिरियल नम्बर पी–449 नियमानुसार सील बंद किया। प्रत्येक नमूने पर विवरण लिख कर प्रार्थी व गवाहो ने पेपर स्लीप को क्रॉस करते हुए हस्ताक्षर किये। फार्म नम्बर 5 ए भरकर गवाहो के हस्ताक्षर कराये, जिसकी प्रति मालिक विक्रेता को दी गई। मौके पर ही गवाहो की उपस्थिति में मौकाफर्द तैयार की गयी। समस्त कार्यवाही पूर्ण करने के बाद कार्यालय आकर नमूना पी–449 जॉच हेतु खाद्य विश्लेषक खाध सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। फार्म नम्बर 06 की प्रतियां तैयार की गयी। नमूना सील जिसका प्रयोग सेम्पल लेते वक्त नमूना सील करने में किया गया। एक प्रति नमूने के साथ रखकर आउटर कवर के साथ उसी ब्राससील से सील किया जिसका प्रयोग चारो नमूनो को सीलबन्द करने में किया गया एंव आउटर कवर कर नमूना विवरण अंकित किया गया एंव एक लिफाफे में फार्म नम्बर 06 की एक प्रति रखकर खाध सुरक्षा लैब जोधपुर का पता अंकित कर ब्राससील द्वारा लिफाफे को सील बन्द किया गया। नमूनो के शेष दूसरा, तीसरा व चौथा मय फार्म नम्बर 06 की एक प्रति आउटर कवर में ब्राससील से सील कर सील अवस्था में अभिहित अधिकारी एंव मुख्य चिकित्सा अधिकारी बाड़मेर को भिजवाने जाने का उल्लेख किया गया। प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि खाद्य पदार्थ **आयोडीन नमक ब्राण्ड वि केयर** की नमूना जांच रिपोर्ट फूड एनालिस्ट जोधपुर के क्रमांक एलएस/138/एक्ट/2015/138

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

दिनांक 26.02.2015 से अभिहित अधिकारी एंव मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार नमूना जॉच में खाध पदार्थ आयोडीन नमक ब्राण्ड वि केयर का नमूना पी–449 Sub-standdard as it does not conform to the prescribed standards and provisions of Food Safety and Standards. Regulations, 2011 पाया गया। जांच रिपोर्ट में Sub-standdard पाये गये खाद्य आयोडीन नमक ब्राण्ड वि केयर का विक्रय करना खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एंव नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन पाये जाने के आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बाड़मेर ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्यक्षेत्र का नोटिफिकेशन एंव संशोधित नोटिफिकेशन की प्रति, फार्म नम्बर 5 ए,नमूना, खरीद रसीद, मौका फर्द, नमूना पी–449 जॉच रिपोर्ट अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने हेतु आवेदन फाईल करने बाबत लिखे गये पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी।

2. परिवाद प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से श्री सम्पतराज बोथरा अधिवक्ता उपस्थित हुए। पत्रावली पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ''न्याय आपके द्वार'' के तहत राजस्व कोर्ट केम्प न्यायालय हाजा में पेश हुई। जिसके लिए पक्षकारान एवं अभिभाषक को नोटिस की तामीली करा दी गई है। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण का निस्तारण लोक अदालत की भावना से करवाने का निवेदन किया।

3. हमने दोनो पक्षो की बहस सुनी। प्रार्थी की ओर से सहायक लोक अभियोजक प्रथम बाड़मेर ने जाहिर किया कि दिनांक 20.2.2015 को जांच के दौरान् आयोडीन नमक ब्राण्ड वि केयर में मिलावट होने का संदेह होने पर नियमानुसार लिया गया नमूना पी. 449 फूड एनालिस्ट राज. जोधपुर की गई जॉच में Sub-standdard पाया गया जो खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन है। इसलिये अप्रार्थीगण पर जुर्माना आरोपित किया जाए।

4. हमने उभय पक्ष की बहस सुनी। परिवाद में वर्णित तथ्यों एंव इसके संलग्न दस्तावेजात तथा खाध विशलेषक जोधपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/138/एक्ट/2015/138 दिनांक 26.2.2015 अनुसार अप्रार्थीगण द्वारा बेचा जा रहा खाध पदार्थ आयोडीन नमक ब्राण्ड वि केयर का सेंपल जॉच में Sub-standdard का पाया गया, जिसके लिये अभियुक्त अप्रार्थीगण दोषी प्रतीत होते है।

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

5. अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण खेराजमल वगैरहा द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii)उल्लंघन किया गया है। जिसके लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में Sub-standdard पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है। अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप तथा लोक अदालत की भावना को ध्यान में रखते हुए उक्त अधिनियम की धारा 51 में अप्रार्थी संख्या 01 से 03 प्रत्येक पर पांच–पांच सौ रूपये मात्र एवं अप्रार्थी संख्या 04 व 05 प्रत्येक पर पांच–पांच हजार रूपये मात्र शास्ति आरोपित की जाती है। अभियुक्त उपरोक्त शास्ति की राशि मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय तारीख 31.5.2017 के एक माह के अंदर–अंदर जमा कराकर रसीद प्राप्त करें।

(ओ0पी0बिश्नोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अति.जिला मजिस्ट्रेट, बाडमेर

आदेश आज दिनांक 31.5.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अति.जिला मजिस्ट्रेट, बाडमेर